समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई-मेल :-dm-khagaria.bih@nic.in, generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री सुखदेव सिंह, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी सं0-05/1982 (खगड़िया थाना) ग्राम-लालपुर चौथम, वर्तमान पता-गुलाबनगर, खगड़िया के द्वारा अपने अस्वस्थता के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-05/1982 (खगड़िया थाना) को रद्द करने एवं उस पर धारित बंदुक सं0-5572/5518 को खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये अनुरोध तथा आयुध अधिनियम 2016 के धारा 47 के आलोक में जिला दंडाधिकारी के द्वारा जिला शस्त्र शाखा के संचिका सं0 - IV-57/20 में शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-05/1982 (खगड़िया थाना) के अनुज्ञप्ति को रद्द करने एवं उस पर धारित बंदूक सं0-5572/5518 तथा जिन्दा कारतूस को खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करने का आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में शस्त्र लिपिक को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की प्रवृष्टि अनुज्ञप्ति पंजी में करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवेदक से अनुज्ञप्ति पुस्तिका की मूल प्रति कार्यालय में जमा करायेंगे। अंकित शस्त्र अनुज्ञप्ति का युनिक नं0- 051700004855122015 है।

ह0/-

प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक IV-03/2020 288 /जी0, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपि : शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री सुखदेव सिंह, ग्राम-लालपुर चौथम, वर्तमान पता-गुलाबनगर, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया